

डिप्टी बमुकदमें ईलादाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:-426/2019

सुभाषचन्द्र पुत्र श्रीचन्द्र जाति कुम्हार निवासी सिलवालाखुर्द तहसील टिब्बी जिला  
हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1. श्रीचन्द्र पुत्र तिलोकचन्द्र } जाति कुम्हार निवासी सिलवालाखुर्द तहसील टिब्बी जिला  
2. विनोद कुमार } पि० श्रीचन्द्र } हनुमानगढ।  
3. डुंगरराम }  
4. आदराम }  
5. मनीदेवी पत्नी श्रीचन्द्र } प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री करनैलसिंह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादीसं० 1 श्रीचन्द्र के नाम से चकनं० 10 एसएल डबल्यू के खाता सं० 150/144 में कुल 1.834 है० आराजी का वादी व प्रतिवादीसं० 2 व 3 को ब०हि०ब० खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी सं० 2 ता 3 के नाम से ब०हि०ब० राजस्व रिकार्ड में अंकन कर चकनं० 10 एसएल डबल्यू के खाता सं० 150/144 में से प्रतिवादीसं० 1 श्रीचन्द्र का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....24/12/19.....को जारी किया गया।



( मीनू वर्मा )  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी